संदर्भ संख्या राबैं / जीएसडी-प्रका / 48103 /मोन-15/2025-26

परिपत्र संख्या -157/जीएसडी- 05/2025

01 जुलाई 2025

अध्यक्ष
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

महोदया/प्रिय महोदय,

वर्ष 2025-26 के लिए अल्पावधि ऋणों (कृषि और संबद्ध गतिविधियों) के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना की निरंतरता

कृपया वर्ष 2024-25 के लिए अल्पावधि फसल ऋणों के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना पर हमारे (परिपत्र संख्या 105) संदर्भ सं. राबैं.पुनर्वित्त-नीति /9060-9090/आईएस-1/2024-25 दिनांक 03 जून 2024 को देखें।

2. इस संबंध में, हमने सूचित करते है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या एफ.सं.1-4/2020-क्रेडिट-I दिनांक 16 जून 2025 के माध्यम से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निम्नलिखित शर्तों के साथ केसीसी के माध्यम से प्राप्त ब्याज सहायता योजना (आईएसएस) को संशोधन के साथ जारी रखने की मंजूरी दी है:

(क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अल्पावधि ऋणों (फसल ऋण और पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन आदि के लिए डब्ल्यूसी ऋण) के लिए उपयोग किए जाने वाले अपने स्वयं के धन पर 1.5% प्रति वर्ष की ब्याज सहायता उपलब्ध होगी, जो प्रति किसान 3.00 लाख रुपये तक (एएच & एफ, डेयरी, मधुमक्खी पालन आदि के लिए डब्ल्यूसी ऋण के लिए अधिकतम 2.00 लाख रुपये प्रति किसान के अधीन) उपलब्ध होगी, बशर्ते ऋण देने वाली संस्थाएं किसानों को 7% प्रति वर्ष की दर से अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराएं। फसल ऋण/डब्ल्यूसी ऋण राशि पर 1.5% की दर से ब्याज अनुदान की गणना उसके संवितरण/आहरण की तिथि से लेकर किसान द्वारा फसल ऋण/डब्ल्यूसी ऋण के वास्तविक पुनर्भुगतान की तिथि तक या बैंकों द्वारा निर्धारित ऋण की देय तिथि तक की जाएगी। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए किसानों को ब्याज सहायता और ऋण दर के लिए लागू ब्याज दर निम्नानुसार होगी:

वित्तीय वर्ष	किसानों को ऋण दर	ब्याज अनुदान की दर
2025-26	7%	1.5%

(ख) समय पर पुनर्भुगतान करने वाले ऐसे किसानों को 3% की दर से अतिरिक्त ब्याज सहायता उपलब्ध होगी, अर्थात् अल्पावधि ऋण के वितरण की तिथि से लेकर किसानों द्वारा पुनर्भुगतान की वास्तविक

तिथि तक या फसल ऋण/डब्ल्यूसी ऋण के पुनर्भुगतान के लिए बैंक द्वारा निर्धारित नियत तिथि तक, जो भी पहले हो, वितरण की तिथि से एक वर्ष की अधिकतम अवधि के अधीन।

(ग) यह अनुदान ऐसे किसानों को अल्पावधि उत्पादन ऋण पर अधिकतम 3 लाख रुपये तक तथा एएच & एफ, मधुमक्खी पालन, डेयरी आदि के लिए डब्ल्यूसी पर अधिकतम 2 लाख रुपये तक उपलब्ध होगा। एएच & एफ, मधुमक्खी पालन, डेयरी आदि के लिए डब्ल्यूसी पर लागू 2.00 लाख रुपये की सीमा अल्पावधि उत्पादन पर किसानों को दी जाने वाली 3.00 लाख रुपये की अधिकतम अनुदान राशि की उप-सीमा है। इसका यह भी अर्थ है कि समय पर भुगतान करने वाले किसानों को वर्ष 2025-26 के दौरान 4% प्रति वर्ष की दर से अल्पावधि ऋण मिलेगा। यह लाभ उन किसानों को नहीं मिलेगा जो फसल ऋण/ डब्ल्यूसी ऋण लेने के एक वर्ष बाद भुगतान करते हैं।

(घ) किसानों द्वारा मजबूरी में बिक्री को हतोत्साहित करने तथा उन्हें अपने उत्पाद गोदामों में रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, बैंकों को किसान क्रेडिट कार्ड धारक छोटे एवं सीमांत किसानों को फसल कटाई के बाद छह महीने तक की अवधि के लिए ऋण देने पर ब्याज अनुदान का लाभ उपलब्ध होगा। यह ऋण वेयरहाउसिंग विकास विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) से मान्यता प्राप्त गोदामों में रखे गए उत्पादों पर परक्राम्य वेयरहाउस रसीदों के आधार पर उपलब्ध उसी दर पर उपलब्ध होगा, जो फसल ऋण/डब्ल्यूसी ऋण पर उपलब्ध है।

(ङ) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए, पुनर्गठित ऋण राशि पर पहले वर्ष के लिए उस वर्ष के लिए लागू ब्याज दर पर छूट बैंकों को उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे पुनर्गठित ऋणों पर आरबीआई द्वारा निर्धारित मौजूदा नीति के अनुसार दूसरे वर्ष से सामान्य ब्याज दर लागू होगी।

(च) हालांकि, गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए, पुनर्गठित ऋण राशि पर पहले तीन वर्षों/पूरी अवधि (अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के अधीन) के लिए बैंकों को उस विशेष वर्ष का ब्याज अनुदान उपलब्ध होगा। इसके अलावा, ऐसे सभी मामलों में, प्रभावित किसानों को 3% प्रति वर्ष की दर से शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। हालांकि, गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में इस तरह के लाभ का निर्णय अंतर-मंत्रालय केंद्रीय टीम (IMCT) और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (SC-NEC) की उप समिति की सिफारिश के आधार पर एक उच्च स्तरीय समिति (HLC) द्वारा किया जाएगा।

3. सितंबर 2023 में किसान ऋण पोर्टल (केआरपी) के लॉन्च होने के बाद से, बैंकों को केवल डिजिटल मोड के माध्यम से दावों को संसाधित करने का निर्देश दिया गया है। बैंकों को ऑडिट किए गए MISS दावों के निपटान के लिए KRP पर योजना के तहत व्यक्तिगत किसान लाभार्थियों का विस्तृत, श्रेणीवार डेटा कैप्चर और रिपोर्ट करना आवश्यक है। सभी आरआरबी को समय-समय पर अधिसूचित तिथि के अनुसार केआरपी पर इन दावों को समय पर अपलोड करना सुनिश्चित करना चाहिए।

4. आरआरबी द्वारा सख्त अनुपालन के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं

क) **एक किसान एक केसीसी मानदंड**: बैंकों को 'एक किसान-एक केसीसी' के सिद्धांत का पालन करना होगा। तदनुसार, प्रति व्यक्ति केवल एक किसान ऋण (केसीसी) खाते की अनुमति होगी। मौजूदा केसीसी उधारकर्ताओं की पहचान के लिए एक पूर्व-स्वीकृति सत्यापन मॉड्यूल किसान ऋण पोर्टल (केआरपी) पर तैनात किया जा रहा है। अंतरिम में, बैंक संवितरण से पहले प्रत्येक आवेदक से एक वचनबद्धता प्राप्त करेंगे, जिसमें पुष्टि की जाएगी कि उसके पास कोई अन्य केसीसी खाता नहीं है।

ख) **डुप्लिकेट केसीसी खातों के लिए अपात्रता**: यदि किसी लाभार्थी के लिए कई केसीसी खाते पाए जाते हैं, तो ऐसे लाभार्थी के लिए बैंकों के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

ग) **अनिवार्य आधार प्रमाणीकरण**: योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आधार सीडिंग और प्रमाणीकरण अनिवार्य है। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि योजना के लाभों तक निर्बाध पहुंच को सक्षम करने के लिए प्रत्येक किसान के लिए ई-केवाईसी पूरा हो।

घ) **सामाजिक श्रेणी की सटीक रिपोर्टिंग:** बैंक उधारकर्ता (एससी/एसटी) की सामाजिक श्रेणी की रिपोर्ट सख्ती से केसीसी आवेदन पत्र में दिए गए स्व-घोषणा के आधार पर करेंगे। इस उद्देश्य के लिए कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एससी/एसटी लाभार्थियों को उनकी संबंधित श्रेणियों के तहत सही ढंग से वर्गीकृत किया गया है।

ङ) **केआरपी पर सटीक फसल रिपोर्टिंग**: फील्ड कार्यकर्ताओं को किसान ऋण पोर्टल (केआरपी) पर बोई गई फसलों की सटीक रिपोर्टिंग करने में उचित परिश्रम करना चाहिए। चूंकि केआरपी अब डिजिटल फसल सर्वेक्षण और पीएमएफबीवाई प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत है, विसंगतियों के कारण बाद के चरण में सत्यापन त्रुटियां हो सकती हैं।

च) **आवधिक फसल विवरण अपडेट:** चूंकि केसीसी ऋण पांच साल की अवधि के लिए वैध हैं, इसलिए फील्ड कार्यकर्ता फील्ड विजिट के बाद प्रत्येक फसल सीजन से पहले फसल विवरण अपडेट करेंगे। स्वीकृत ऋण सीमा खेती की जा रही फसलों के लिए लागू वित्त के उचित पैमाने पर आधारित होनी चाहिए।

छ) **केआरपी पर व्यापक अपलोडिंग**: सभी केसीसी खाते-नियमित/संचालन, अतिदेय और गैर-निष्पादित संपति (एनपीए)-को आरबीआई द्वारा समय-समय पर निर्धारित वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार किसान ऋण पोर्टल से जोड़ा और अपलोड किया जाना चाहिए।

ज) **फसल बीमा ऑप्ट-आउट पर सूचित निर्णय**: यह देखा गया है कि ऋण अधिकारी नियमित रूप से केसीसी प्रसंस्करण के दौरान पीएमएफबीवाई/फसल बीमा के लिए 'ऑप्ट-आउट घोषणाएँ' प्राप्त करते हैं। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसे डिफ़ॉल्ट अभ्यास के रूप में नहीं माना जाए। ऋण अधिकारी को ऑप्ट-आउट के निहितार्थों को स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए, और नए केसीसी के समय और प्रत्येक नवीनीकरण पर उचित जोखिम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए उधारकर्ता से सूचित और स्वैच्छिक सहमति प्राप्त करनी चाहिए।

झ) **ऋण चुकौती और नवीनीकरण के बीच अंतराल:** ऋणों के सदाबहार होने को रोकने के लिए, बैंकों को पिछले फसल चक्र से ऋणों के पुनर्भुगतान और बाद के चक्र के लिए ऋणों के नवीनीकरण या स्वीकृति के बीच सात (7) दिनों का न्यूनतम अंतराल अनिवार्य करना चाहिए।

ञ) **किस्तों में निकासी**: गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए ऋण के विचलन से बचने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसान प्रत्येक फसल मौसम में इनपुट के लिए उपलब्ध ऋण बनाए रखता है, एक बार में स्वीकृत ऋण सीमा का पूरा आहरण टाला जाना चाहिए और बैंकों को किस्तों में निकासी की अनुमति देनी चाहिए, अधिमानतः तीन, प्रत्येक किस्त के बीच उचित अंतराल के साथ।

ट) **रुपे किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना अनिवार्य**: बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक किसान क्रेडिट कार्ड धारक को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाए। इससे इनपुट खरीद और खेती से जुड़े अन्य खर्चों के लिए डिजिटल लेन-देन की सुविधा मिलती है, पारदर्शिता बढ़ती है और कृषि में डिजिटल समावेशन प्रयासों को समर्थन मिलता है।

ठ) **डिजिटल दावा प्रस्तुतीकरण दिशा-निर्देशों का पालन:** बैंकों को किसान ऋण पोर्टल के माध्यम से डिजिटल दावा प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया के संबंध में समय-समय पर जारी परिचालन निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए।

5. सभी आरआरबी से अनुरोध है कि वे कृषि एवं सहबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋण/केसीसी और एमआईएसएस (जब भी वे कोई जारी करें) से संबंधित अनुदेशों/परिपत्रों की एक प्रति संयुक्त सचिव (ऋण), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को भेजें।

भवदीय

सी. गणेसन

(सी गणेसन)
महाप्रबंधक